संशोधित आवंटन - चेक होना है!

संख्याः–537 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, कानपुर नगर, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, फिरोजाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, मथुरा, शाहजहाँपुर, हापुड़, मुरादाबाद, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊःदिनांकः 22 अगस्त, 2020

विषयः– नोवल करोना वायरस (कोविड–19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल कालेजों में आवश्यक उपकरणों / कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–168 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2, दिनांक 01.04.2020 एवं पत्र संख्या–200 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2, दिनांक 22.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज / मेडिकल संस्थान / प्राईवेट मेडिकल कालेजों में नोवल करोना वायरस (कोविड–19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों / कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 29,50,00,000 / – (रूपये उन्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से 31 जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी।

2– उक्त आवंटित / स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष के कतिपय जनपदों द्वारा अत्यन्त कम धनराशि व्यय किये जाने के दृष्टिगत पत्र संख्या–304 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2, दिनांक 22.06.2020 द्वारा उक्त आवंटित धनराशि का पुनरीक्षित आवंटन किया गया है।

3– सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 का पत्र दिनांक 14.08.2020 द्वारा पत्र दिनांक 22.06.2020 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त किये गये पुनरीक्षित आवंटन में से जिलाधिकारी के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कालेजों को आपदा राहत मद से आवंटित धनराशि रू0 590.00 लाख के सापेक्ष रू0 470.35 लाख की धनराशि **(संलग्नक–1)** व्यय न होने के कारण अवरूद्ध है। उक्त अवरूद्ध धनराशि को राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा संस्थाओं / चिकित्सा विश्वविद्यालयों को **संलग्नक–2** के अनुसार संबंधित जनपदों को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त पत्र संख्या–304 / एक–10–2020–33(221) / 2011 टीसी–2, दिनांक 22.06.2020 द्वारा जनपदों को किये गये रू0 29,50,00,000 / – (रूपये उन्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) के पुनरीक्षित आवंटन में से जिलाधिकारी के माध्यम से प्राइवेट मेडिकल कालेजों को आवंटित धनराशि रू0 590.00 लाख में से संलग्नक–1 के अनुसार व्यय न की गयी रू0 470.35 लाख की धनराशि को संलग्नक–2 के अनुसार राजकीय मेडिकल कालेजों / चिकित्सा

संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों को आवंटित किये जाने हेतु संबंधित जनपदों को निम्नानुसार पुनरीक्षित आवंटन किया जाता है:-

			(धनराशि लाख रूपये में)
क0	जनपद का नाम	चिकित्सा संस्था का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	लखनऊ	1- किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।	35.00
		2- एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।	35.00
		3- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	20.00
2	गौतमबुद्धनगर	1- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।	40.00
		2- सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।	10.00
3	आगरा।	एस0एन0, मेडिकल कालेज, आगरा।	200.35.
4	कानपुर।	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर।	50.00
5	मेरठ	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।	50.00
6	फिरोजाबाद	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।	30.00
		योग	470.35

5- उक्त पुनरीक्षित आवंटन के संबंध में पत्र सं0-168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 एवं पत्र सं0-200/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 22.04.2020 तथा पत्र सं0-304/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 22.06.2020 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या-537(1) एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।